न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 13/216

जगदीश सिंह आत्मज श्री शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या बालाजी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बुद्धिप्रकाश आत्मज श्री गोपाल जाति ढोली (बारेठ) निवासी कोडक्या बालाजी हाल गणेशपाल कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति के0 पाटन जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त करने आवंटन राजस्थान कृषि जोतों के नियम 1973 का नियम 17 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति के0 पाटन द्वारा दिनांक 19.06.82 को अप्रार्थी को ग्राम कोडक्या बालाजी की आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा भूमि कीमतन आवंटन करने का आदेश पारित किया था । आवंटी द्वारा आवंटन की राशि आज दिनांक तक जमा नहीं करवाई है और न ही आवंटी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा है । आवंटी ने उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की तथा आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर उक्त भूमि का आवंटन करवाया गया है । अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.05.2013 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्त किये जाने का खारिज कर दिया ।

...स्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2013 से व्यथित होकर ... अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं ...नस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

...पील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट को बार–बार आवाज दिलाई लेकिन वह बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन की राशि आज दिनांक तक जमा नहीं करवायी है । रेस्पोडेन्ट को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र की अनुशंसा स्वयं तहसीलदार ने की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है, आवंटी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । आवंटी द्वारा उक्त आवंटन तथ्यों को छुपाकर किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । आवंटी द्वारा आवंटित भूमि की राशि जमा नहीं करवाई गई है । उक्त भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है । रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु सहायक कलक्टर के0 पाटन ने दिनांक 18.12.2001 को अनुशंषा की है कि राज0 काश्तकारी (भूमि पर अधिकतम सीमा नियतन) सरकारी नियम, 1963 या राज0 कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के अधीन किये गये आवंटन के सम्बन्ध में यदि आवंटी ने किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया है तो ऐसे व्यक्ति का आवंटन निरस्त किये जाने का प्रावधान होना बताया । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटन की बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही उसका उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा है । ऐसी स्थिति में आवंटी के पक्ष में किया गया अवंटन निरस्त होने योग्य है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2013 निरस्त किया जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा